



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1587]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 26, 2018/वैशाख 6, 1940

No. 1587]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 2018/VAISAKHA 6, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

का.आ. 1761(अ).—जहां तक केंद्र सरकार निम्नलिखित पदार्थ (प्राकृतिक या संश्लेषित) या प्राकृतिक सामग्री या ऐसे पदार्थ से बनाए गए लवण या उत्पाद की प्रकृति और उसके प्रभाव तथा इसके दुरुपयोग के बारे में उपलब्ध कराई गयी सूचना और साक्ष्यों के आधार पर इस बात से संतुष्ट है और यह आवश्यक समझती है कि निम्नलिखित पदार्थ, या प्राकृतिक सामग्री, या उसके लवण या उसके उत्पादों को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (इसके पश्चात जिसे उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की अनुसूची में जोड़ा जाना जरूरी है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये केंद्र सरकार, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वापक पदार्थों की सूची में और आगे संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, क्रम संख्या 110 X और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों अंतःस्थापित की जाएगीं, अर्थात्: -

क्रम सं०.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-प्रोप्राइटरी नाम	अन्य गैर-प्रोप्राइटरी नाम	रासायनिक नाम
"110Y	ट्रामाडोल	-	-"

[फ़ा० सं०.एन-11012/3/2017-एन सी. II]

विजय कुमार बालयान, अवर सचिव

नोट : स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची में पथम बार का.आ. 785 (अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के द्वारा और उसके बाद का.आ. 49 (अ) दिनांक 8 जनवरी, 1993, का.आ. 39(अ) दिनांक 12 जनवरी, 1996, का.आ. 475(अ) दिनांक 11 जून, 2003, सा.का.नि. 621(अ) दिनांक 1 अगस्त, 2003, सा.का.नि. 1(अ) दिनांक 2 जनवरी, 2004, का.आ. 311 (अ) दिनांक 10 फरवरी, 2011, का.आ. 376 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 2015, का. सं० 2374(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016 और का. आ. सं० 1383 (अ), दिनांक 2 मई 2017 और का.आ. सं०. 821(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

S. O. 1761(E).—Whereas the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effect of and the scope for abuse of the following substance (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substances or materials, and the modification with respect to such substances, and that it is necessary to add the following substance or natural material or salts or preparation of such substance or material in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the said Act, namely: -

In the said Act, in the Schedule, after serial number 110 X and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

SI. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
"110Y	Tramadol	-	-".

[F. No. N-11012/3/2017-NC. II]

VIJAY KUMAR BALYAN, Under Secy.

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was first amended *vide* number S.O. 785(E) dated 26th October, 1992 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 49(E), dated the 8th January, 1993, S.O. 39(E), dated the 12th January, 1996, S.O. 475(E), dated the 11th June, 2003, G.S.R. 621(E), dated the 1st August, 2003, G.S.R. 1(E), dated the 2nd January, 2004, S. O. 311 (E), dated the 10th February, 2011, S. O. 376 (E), dated the 5th February, 2015, S. O. No. 2374 (E), dated the 12th July, 2016, S.O. No. 1383 (E), dated the 2nd May, 2017 and S.O. No. 821(E), dated the 27th February, 2018.

अधिसूचना**नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018**

का.आ. 1762(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के उपखंड(vii) और (xxiii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना जिसे का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग, II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में सारणी में, क्रम सं. 238ZG और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और उनसे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

क्र.सं.	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का नाम (अंतर्राष्ट्रीय गैर-प्रोपराइटरी नाम)	अन्य गैर-प्रोपराइटरी का नाम	रासायनिक नाम	अल्प मात्रा (ग्राम में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम में)
1	2	3	4	5	6
"238 ZH	ट्रामाडोल	-	-	5ग्राम	250ग्राम".

[फा.सं. एन-11012/3/2017-एनसी-II]

विजय कुमार बालयान, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग, II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और बाद में इसमें अधिसूचना संख्या का.आ. 2941 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2009, का.आ. 1430 (अ), दिनांक 21 जून, 2011, का.आ. 375 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015, का.आ. 2375(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016 और का.आ. 384 (अ), दिनांक 2 मई, 2017 और का.आ. 822(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018 के तहत संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

S. O. 1762(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (viia) and (xxiia) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely: -

In the said notification, in the Table, after serial number 238 ZG and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

Sl No.	Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary name (INN))	Other non-proprietary name	Chemical Name	Small Quantity (in gm.)	Commercial Quantity (in gm./ kg.)
1	2	3	4	5	6
"238 ZH	Tramadol	-	-	5 gm	250 gm".

[F. No. N-11012/3/2017-NC. II]

VIJAY KUMAR BALYAN, Under Secy.

Note.: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 2941 (E), dated the 18th November, 2009, S.O. 1430 (E), dated the 21st June, 2011, S.O. 375 (E) dated the 5th February, 2015, S. O. 2375(E), dated the 12th July, 2016, S.O. 384 (E), dated the 2nd May, 2017 and S.O. 822 (E), dated the 27th February, 2018.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2677]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2018/आषाढ़ 22, 1940

No. 2677]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2018/ASHADHA 22, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2018

का.आ. 3448(अ).—स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 1761(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में, तालिका के पश्चात निम्नलिखित टिप्पणी को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा-

“टिप्पणी: ट्रामाडोल के लाइसेंस प्राप्त विनिर्माताओं/आयताकों/निर्यातकों को सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से 120 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस अधिसूचना के प्रावधानों के तहत शामिल किया जाएगा।”

[फा. सं. एन- 11012/3/2017-एनसी II]

तपन कुमार सतपथी, अवर सचिव

टिप्पणी : स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची को पहली बार का.आ. 785(अ), दिनांक 26 अक्टूबर 1992 के माध्यम से संशोधित किया गया तथा इसके पश्चात का.आ. सं. 49(अ), दिनांक 08 जनवरी 1993, का.आ. 39(अ), दिनांक 12 जनवरी 1996, का.आ. 475(अ), दिनांक 11 जून 2003, सा.का.नि. 621(अ), दिनांक 01 अगस्त 2003, सा.का.नि. 1(अ), दिनांक 02 जनवरी 2004, का.आ. 311(अ), दिनांक 10 फरवरी 2011, का.आ. 376(अ), दिनांक 05 फरवरी 2015, का.आ. 2374(अ), दिनांक 12 जुलाई 2016, का.आ. 1383(अ), दिनांक 02 मई 2017, का.आ. 821(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018 तथा का.आ. 1761(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2018

S.O. 3448(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 26th April, 2018 *vide* number S.O. 1761(E), namely: -

In the said notification, after the Table, the following Note shall be inserted, namely: -

“Note : The licensed manufacturers, importers and exporters of Tramadol shall be covered under the provisions of this notification after the expiry of a period of 120 days from the date of its publication in the Official Gazette.”.

[F. No. N-11012/3/2017-NC. II]

TAPAN KUMAR SATPATHY, Under Secy.

Note : The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was first amended *vide* number S.O. 785(E), dated the 26th October, 1992 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 49(E), dated the 8th January, 1993, S.O. 39(E), dated the 12th January, 1996, S.O. 475(E), dated the 11th June, 2003, G.S.R. 621(E), dated the 1st August, 2003, G.S.R. 1(E), dated the 2nd January, 2004, S.O. 311(E), dated the 10th February, 2011, S.O. 376(E), dated the 5th February, 2015, S.O. 2374 (E), dated the 12th July, 2016, S.O. 1383 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 821(E), dated the 27th February, 2018 and S.O. 1761(E), dated the 26th April, 2018.